दिनांक 06.04.2015 को प्रधान सचिव, कृषि विभाग की अध्यक्षता में आयोजित सारण एवं सीवान जिला से संबंधित योजनाओं की समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–संचिका में संधारित।

1. श्री कृष्ण प्रकाश, सहायक निदेशक, माप–तौल गोपालगंज से समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि वे सारण एवं सीवान के भी अतिरिक्त प्रभार में है। समीक्षा के क्रम में उनके द्वारा जिलों में अवस्थित धर्मकांटा एवं पेट्रोल पम्प की संख्या की जानकारी नहीं दी गई। जिलों में अवस्थित धर्मकांटा एवं पेट्रोल पम्प की संख्या तथा गत वर्ष कितने धर्मकांटा एवं पेट्रोल पम्प का निरीक्षण एवं सर्टिफिकेशन किया गया है इससे संबंधित प्रतिवेदन के साथ अगली बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया।

2. प्रधान सचिव ने जानना चाहा कि माप–तौल के प्रभारी पदाधिकारी द्वारा तेल कंपनी के माप–तौल इकाई को प्रमाणीकरण करके देने में क्या कठिनाई है? इस संबंध में कोई संतोषजनक जबाव नहीं दिया गया। निर्देश दिया गया कि तेल की मापी में प्रयुक्त होने वाले मापक के प्रमाणीकरण हेतु नियंत्रक, माप–तौल द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

   जिलावार राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य एवं उपलब्धि तथा कितने प्रतिष्ठानों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है, इससे संबंधित प्रतिवेदन भी उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

3. बताया गया कि HDPE वर्मी बेड के संदर्भ में लाभुक आकर्षित नहीं हो रहे हैं। अतः HDPE वर्मी बेड के लक्ष्य को पक्का वर्मी बेड में परिवर्तित कर दिया जाय। जैविक उर्वरक प्रोत्साहन कार्यक्रम की समीक्षा के क्रम में जिलावार व्यवसायिक वर्मीकम्पोस्ट विपणन अनुज्ञप्ति प्राप्त उद्यमियों की सूची उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। खरीफ 2015 में कृषकों को वर्मीकम्पोस्ट का वितरण 15 जुलाई, 2015 तक सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

4. **<u>सूक्ष्म पोषक तत्व योजना</u>** :– इस योजना के बारे में प्रधान सचिव द्वारा जानकारी प्राप्त की गयी। इसमें जिंक सल्फेट एवं बोरॉन का उपयोग किया जाता है। सारण जिला में इस योजना का वित्तीय लक्ष्य 12.00 लाख रूपये का है। जिला कृषि पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि 33 प्रतिशत जिंक 80/–रूपये प्रति किलो एवं 80 प्रतिशत जिंक 45/–रूपये प्रति किलो है। इसमें सारण जिले में लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है।

   सिवान जिले में इस योजना में उपलब्धि शत–प्रतिशत है।

5. **<u>वर्मी कम्पोष्ट</u>** :– सिवान के जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस योजना में लक्ष्य की प्राप्ति हो गयी है। वर्मी कम्पोष्ट वितरण के लक्ष्य में 7325 क्विंटल लक्ष्य के विरूद्ध 6925 क्विंटल उपलब्धि है। इसमें सब्सिडी 300/–रूपये प्रति क्विंटल देने का प्रावधान है।

इस योजना में कुल 76 यूनिट को सब्सिडी दी गई है। प्रधान सचिव द्वारा जिज्ञासा व्यक्त की गयी कि इसमें सारण एवं सिवान में कितने–कितने यूनिट हैं? इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी जा सकी।

6. **बीजोपचार** :– प्रधान सचिव द्वारा बीजोपचार के बारे में जानकारी प्राप्त की गयी। इसमें जानकारी उपलब्ध करायी गयी कि किसानों को बीज बोने के पहले उपचारित करने के लिए दवा दी जाती है। बीज में इस दवाई का प्रयोग दो ग्राम प्रति किलो के दर से की जाती है। इसमें कार्बन डाइजिंग (बेबिस्टीन), क्लोरोपारीफॉस नामक दवा का उपयोग किया जाता है।

फेरोमेनथल दवा का उपयोग मुख्य रूप से चना, अरहर, केला, आम, मटर, बैंगन आदि की खेती में किया जाता है।

7. **यांत्रिकरण योजना** :– कृषि यांत्रिकरण योजना अन्तर्गत सारण जिला में 523 लाख रू0 की उपलब्धि प्राप्त की गई है लेकिन अभी तक कृषकों को 365 लाख रू0 RTGS के माध्यम से हस्तगत कराया गया है। निदेश दिया गया कि भौतिक सत्यापन कर 15 अप्रैल, 2015 तक सभी लाभान्वित कृषकों को राशि हस्तगत करा दिया जाय क्योंकि Software 15 अप्रैल, 2015 तक ही कार्य करेगा।

पैडी ट्रांसप्लांटर से धान प्रत्यक्षण कार्यक्रम में सारण जिला में 33% उपलब्धि प्राप्त की गई। जिला कृषि पदाधिकारी, सारण द्वारा बताया गया कि बिचड़ा सड़ जाने के कारण उपलब्धि नहीं हो सकी। निदेश दिया गया कि किसानों को जागरूक किया जाय एवं प्रशिक्षण दिया जाय तथा भविष्य में शतप्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

8. **ई–किसान भवन** :– ई–किसान भवन की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी सारण एवं सीवान को निदेश दिया गया कि अगली बैठक में ई–किसान भवन का फोटोग्राफ, कार्यान्वयन एजेन्सी का नाम, उपलब्ध व्यवस्था यथा–बिजली, पानी, सेनेट्री फिटींग, बाउन्ड्री इत्यादि का विवरण उपलब्ध करायेंगे।

9. **राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र** :– राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्र की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि प्रक्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत संरचना यथा–प्रक्षेत्र का रकबा, बाउन्ड्री, बिजली कनेक्शन ट्रान्सफरमर, पानी, बोरिंग, कार्यालय–सह–गोदाम भवन, थ्रेसींग फ्लोर एवं ड्रेनेज की व्यवस्था इत्यादि संबंधी प्रतिवेदन एवं प्रक्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यकता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

10. **हरित चादर योजना** :– इस योजना के अन्तर्गत वितरीत किये जा रहे मूंग बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 10.04.2015 तक एवं ढैंचा बीज का भौतिक सत्यापन दिनांक 30.06.2015 तक कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से कराने का निदेश दोनो जिला कृषि पदाधिकारी को दिया गया।

11. बिहार राज्य बीज निगम एवं उसके विक्रेता से मूंग एवं ढैंचा बीज की आपूर्ति विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के पूर्व कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया। विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के बाद कोई भी बीज प्राप्त नहीं किया जायेगा।

12. उद्यान योजना की समीक्षा के क्रम में निदेश दिया गया कि जिलों में अवस्थित नर्सरी की सूची एवं वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना का विस्तृत विवरण अगली बैठक में उपलब्ध करायेंगे।

उद्यान योजना से लाभान्वित कृषकों का सत्यापन कृषि समन्वयक से कराकर जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

13. सीवान एवं सारण जिला के कितने क्षेत्र में मेन्था की खेती हो रही है इसका आकलन कृषि समन्वयक/किसान सलाहकार से करा कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

14. जिलों में कितना Oil Extraction Plant किस क्षेत्र में एवं कहां अवस्थित है, इससे संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

15. आत्मा योजना :– आत्मा योजना अन्तर्गत राजकीय बीज गुणन प्रक्षेत्रों एवं सरकारी नर्सरी में प्रत्यक्षण कराने हेतु कार्य योजना तैयार करने का निदेश दिया गया।

निदेशक, बामेती को निदेश दिया गया कि आत्मा योजना अन्तर्गत जिलों में कितनी राशि अवशेष है इसका येाजनावार एवं खातावार प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

16. अगली बैठक में कोर्ट केस यथा सिविल रिट (CWJC) एवं अवमाननावाद (MJC)/सेवांत लाभ/ए0सी0/डी0सी0 एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र/अंकेक्षण/जनशिकायत/राजस्व संग्रह से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :–.पी०पी०एम०21/2015 1882 /कृ0, पटना, दिनांक 08-04-2015

प्रतिलिपिः–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेती, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम, पटना/वरीय प्रभारी, जैविक खेती कोषांग/उप निदेशक (शष्य) बीज, बिहार, पटना/उप निदेशक (प्रक्षेत्र) बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (माप–तौल) बिहार, पटना/उप निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला कृषि पदाधिकारी, सारण एवं सिवान/परियोजना निदेशक, आत्मा, सारण एवं सिवान/जिला उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक, माप–तौल/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सहायक निदेशक पौधा संरक्षण/ सहायक निदेशक, रसायन, सारण एवं सिवान/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/प्रधान सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।